

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/पीएसर्पी/बाल वाहिनी/निर्देश/ 2019-20/

दिनांक- 6/3/19

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)
समस्त।

विषय:-विद्यालयों में विद्यार्थियों को वाहनों द्वारा लाने-लेजाने के संबंध में दिशा-निर्देशों की पालना करवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को विद्यालय तक लाने एवं ले जाने के लिए सुरक्षा के लिये निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें:-

01. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा बाल वाहिनी के संबंध में नियमित मोनिटरिंग की जावें।
02. बाल वाहिनियों के सभी वाहन चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन किया जायें एवं क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बैठायें जायें।
03. प्रत्येक बाल वाहिनी के बाहर की ओर दोनों तरफ विद्यालय का नाम बस चालक का नाम, केयर टेकर का नाम एवं मोबाईल नम्बर एवं चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 बस के अन्दर अनिवार्यतः अंकित किया जायें।
04. विद्यालय क्षेत्र के थानाधिकारी एवं बीट कॉस्टेबल के नाम व मोबाईल नम्बर की जानकारी प्रत्येक विद्यालय द्वारा नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें।
05. विद्यालय परिसर के भीतर वाहनों की पार्किंग स्थल सुनिश्चित करें।
06. बाल वाहिनी के वाहन चालक/कंडेक्टर के पास ड्राईविंग लाईसेंस अवश्य हो।
07. बाल वाहिनी में चालक के साथ एक केयर टेकर की व्यवस्था करावें जो बच्चों को बाल वाहिनी में चढ़ाने, उतारने, सड़क पार करवाने आदि का कार्य करें।
08. बाल वाहिनी की खिडकियों के दोनों तरफ कांच के साथ-साथ ग्रिल अनिवार्यतः लगी हों।
09. बाल वाहिनी में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
10. प्रत्येक बाल वाहिनी में जी.पी.एस. अनिवार्यतः लगाया जावें।
11. प्रत्येक बाल वाहिनी में स्पीड गवर्नर अनिवार्यतः लगाया जावें।
12. बाल वाहिनी के अलावा अन्य किसी वाहन द्वारा बालकों को सामुहिक रूप से परिवहन के लिये अधिकृत नहीं किया जाये ऐसा पाये जाने पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी।
13. यातायात पुलिस को विद्यालय के खुलने एवं छुट्टी होने के समय यातायात नियंत्रण हेतु उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान करें।
14. प्रत्येक विद्यालय का प्रबंधन बाल वाहिनीयों के फिटनेस सर्टिफिकेट को अद्यतन करावें एवं वाहन चालकों को निर्देशित करे व वाहन की नियमित जांच उपरान्त ही बच्चों को वाहन में बैठायें।
15. समय-समय पर बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से यातायात नियमों से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जायें व जागरूकता अभियान चलाया जावे।
16. विद्यालय स्तरीय प्रबंध समिति एवं पाँच अभिभावकों को शामिल करते हुए विद्यालय स्तरीय यातायात समिति का गठन किया जावें जो वाहन चालकों के प्रमाण पत्रों एवं बाल वाहिनी को सुरक्षा निर्देशों की पालना का नियमित निरीक्षण करें।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले में संचालित समस्त गैर सरकारी विद्यालयों से इस आशय का प्रमाण पत्र लेंगें कि विद्यालय द्वारा इस पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 16 तक के समस्त निर्देशों की पालना की जा रही है। विद्यालयों से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा को 15 दिवस में यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके जिले में संचालित समस्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा उक्त बिन्दुओं की पालना कर ली गई है।

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि:-

01. श्रीमान जिला कलेक्टर जिला- समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

उपनिदेशक(माध्यमिक)